रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1971/फाल्गुन 3, 1892

No. 31] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1971/PHALGUNA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd February 1971

G.S.R. 253.—Whereas during the period commencing from the 5th May, 1967, and ending with the 6th September, 1970, the Indian Embassy, Bangkok had issued passports to those persons of Indian origin residing in Thailand, whose national status had not been verified, describing their national status **inter alia** as 'Indian' or 'Indian by birth' or 'person of Indian origin';

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby exempts the aforesaid persons of Indian origin from the operation of the provisions of clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act subject to the condition that the passports already issued to them during the aforesaid period shall remain valid only till the expiry of the period of validity specified therein, or till the national status of the aforesaid persons of Indian origin is verified, whichever is earlier.

Explanatory Memorandum

The Indian Embassy, Bangkok, had:—

1. (a) issued passports to those persons of Indian origin residing in Thailand, whose national status has not been verified, describing their national status *inter alia* as 'Indian' or 'Indian by birth' or 'person of Indian origin' during the period commencing from the 5th May, 1967, and ending with the 6th September, 1970; and

(b) with effect from the 14th September, 1970, exercised the power under Section 20 of the Passports Act, 1967, to issue passports to persons who are not citizens of India.

2. In order to regularise the issue of above passports by the Embassy of India, Bangkok, it has been decided to:—

(a) exempt the persons of Indian origin mentioned in para 1(a) from the operation of the provisions of clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the passports Act, 1967, for the above-mentioned period; and

(b) authorise the exercise of the power under section 20 of the Act by the Embassy with effect from the 14th September, 1970.

3. The above exemption and authorisation will not prejudicially affect the interests of any one.

[No. F.VI/401/65/68.]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1971

जी० एस० आर० 253.—चूंकि 5 मई, 1967 से आरम्भ होकर 6 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि में, बैंकाक-स्थित भारतीय दूतावास ने थाइलैंड में रहने वाले उन भारतीयों को पासपोर्ट जारी किये थे, जिनका राष्ट्रीय दर्जा सत्यापित नहीं किया गया था और जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ 'भारतीय' अथवा 'जन्म से भारतीय' अथवा 'भारतीय मूल का व्यक्ति' कहा गया था;

और चूंकि केंद्र सरकार का मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है; इसलिए अब केन्द्र सरकार पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय मूल के उपर्युक्त व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के खंड 6 के उपखंड (2) की धारा (क) के प्रावधान लागू होने से छूट देती है। इस शर्त पर कि उपर्युक्त अवधि में उन्हें जो पासपोर्ट जारी किये जा चुके हैं वे उनमें अंकित अवधि समाप्त होने तक अथवा मूल के उपर्युक्त व्यक्तियों का राष्ट्रीय दर्जा सत्यापित होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

स्पष्टीकरण—ज्ञापन

भारत के बैंकाक-स्थित राजदूतावास ने :—

(क) 5 मई, 1967 से आरम्भ होकर 6 सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली, अवधि में थाइलैंड निवासी उन भारतीयों को पासपोर्ट जारी किये थे जिनका राष्ट्रीय दर्जा सत्यापित नहीं हुआ है और जिनका राष्ट्रीय दर्जा अन्य बातों के साथ साथ 'भारतीय' अथवा 'जन्म से भारतीय' अथवा 'भारतीय मूल का व्यक्ति' के रूप में बताया गया है ; और

(ख) 14 सितम्बर, 1970 से पासपोर्ट अधिनियम 1967 के खंड 20 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने के अधिकार का प्रयोग किया है जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

2. भारत के बैंकाक-स्थित राजदूतावास द्वारा जारी किये गये उपरोक्त पासपोर्टों के मामले को नियमित करने के उद्देश्य से गृह निर्णय किया गया है कि :—

(क) 1 (क) में उल्लिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के खंड 6 उपखंड (2) के प्रावधान लागू होने से उल्लिखित अवधि के लिए छूट दी जाए और

(ख) उक्त राजदूतावास को 14 सितम्बर, 1970 से उक्त अधिनियम के खंड 20 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्राधिकार दिया जाए।

3. उपर्युक्त छूट और प्राधिकार से किसी भी व्यक्ति के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[मिसिल सं० छ:/401/65/68]

एस० कृष्णामूर्ति, सचिव।

G.S.R. 254.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby directs that with effect from the 14th September, 1970, the power to issue passports and travel documents to persons who are not citizens of India under Section 20 of the said Act may, in respect of persons of Indian origin residing in Thailand, from whom applications for Indian citizenship have been, or are, received, be exercised by the Embassy of India, Bangkok, subject to th econdition that such power may be exercised till the said persons acquire Indian citizenship or till their applications are rejected, whichever is shorter:

Provided that the exercise of the aforesaid power shall not exceed a period of one year at a time, in each case.

[No. F. VI/401/65/68.]

S. KRISHNAMURTHI, Secy.

जी०एस०आर० 254.—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 के 15) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि 14 सितम्बर 1970 से भारत के बैंकाक-स्थित राजदूतावास द्वारा थाइलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के

व्यक्तियों के बारे में, जिनसे भारतीय नागरिकता के आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हों, अथवा प्राप्त हों, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक नहीं हैं पासपोर्ट और यात्रा प्रलेख जारी करने के अधिकार का प्रयोग किया जाए परन्तु इस शर्त के साथ कि इस अधिकार का तभी तक प्रयोग किया जाय जब तक कि इन लोगों को भारतीय नागरिकता न मिल जाय अथवा उनके आवेदन-पत्र अस्वीकार न कर दिए जाएं, इनमें से जो भी पहले हो।

यह शर्त है कि उपर्युक्त अधिकार के प्रयोग की अवधि किसी भी मामले में एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं० फा० VI/401/65/68]

एस० कृष्णामूर्ति, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971